**रजिस्टर्ड/सील्ड।**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2**

**संख्या-353/2017/879/22-2-2017-17(242)2006**

**लखनऊ :दिनांक 24 मई, 2017**

**शुद्धि-पत्र**

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 के आदेश संख्या 226/2017/1782/22-2-2017-17(242)2006, दिनांक 21 मार्च, 2017 में केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र प्रसाद (बन्दी संख्या-8933) पुत्र श्री हरकेशव, निवासी ग्राम-कनवारा, थाना-दक्षिण, जिला-फिरोजाबाद अंकित किया गया था। प्रश्नगत मामले में वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 के पत्र संख्या-12872/प्रोबे-5-दया-के0का0 आगरा-509, दिनांक 27.04.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उक्त बन्दी का निवास पता ग्राम-कनवारा, थाना-खैरगढ़, जिला-फिरोजाबाद है। अतः उक्त आदेश दिनांक 21.03.2017 में सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र प्रसाद (बन्दी संख्या-8933) पुत्र श्री हरकेशव के निवास स्थान में "थाना-दक्षिण" के स्थान पर "थाना-खैरगढ़" पढ़ा जाय।

उक्त शासनादेश दिनांक 21.03.2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

**संख्या-353/2017/879(1)22-2-2017 तद्दिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in